



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 70/13

निर्णय दिनांक:-07-08-2019

1. श्रीमती चांदा पत्नी सुखाराम जाति जाट निवासी रांवासर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 08-03-2000  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 08-03-2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील पूगल के चक 3 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 136/10 के किला नम्बर 1 ता 11 तादादी 11 बीघा, मुरब्बा नम्बर 136/18 के किला नम्बर 1 ता 15 तादादी 15 बीघा, किला नम्बर 16

ता 20 तादादी 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 136/26 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12 तादादी 4 बीघा 6 बिस्वा इसप्रकार कुल 34 बीघा 6 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 20-03-1985 को किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम किश्तें जमा करवा दी गईं तथा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होंने आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पत्र क्रमांक 4414 दिनांक 01-04-2000 के आधार पर खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की सम्पूर्ण किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-03-2002 के विरुद्ध अपील दिनांक

24-04-19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-03-2002 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 24-04-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किशतों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न सेल रजिस्टर की पुस्त पर किशतें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 20-03-1985 को अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया। सेल रजिस्टर में वर्ष 1986 से 1999 तक किशतें जमा होने का उल्लेख है। दिनांक 08-03-2000 को सेल रजिस्टर में "एसीसी आदेशांक 2478 दिनांक 08-03-2000 द्वारा किशतों के अभाव में खारिज" का नोट लगाया तथा दिनांक 01-04-2000 को पुनः यही नोट लगाया गया। जब किशतें लगातार जमा हो रही थी तो खारिज का नोट लगाया जाना मनमाना कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। 13 साल तक लगातार किशतें जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं

दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलाट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08-03-2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित नहीं की गई हो तो बकाया राशि जमा करवाकर आवंटन बहाल किया जावे अन्यथा पात्रता अनुसार अन्यत्र आवंटन किया जावे।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07-08-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर